

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 150]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 मार्च 2014—फाल्गुन 29, शक 1935

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2014

क्र. एफ-9-1-14-सत्रह-मेडि-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 2 में, खण्ड (घ) में, उपखण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण.— ‘पूर्णतः आश्रित’ से अभिप्रेत है शासकीय कर्मचारी के परिवार के सदस्य जिनकी समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय शासन द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए समय-समय पर यथा विनिश्चित आय सीमा के भीतर हो.”

No. F 9-01-14-XVII-M-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Medical Attendance) Rules, 1958, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 2, in clause (d), after sub-clause (ii), the following explanation shall be inserted, namely:—

“Explanation :—‘Wholly Dependent’ means family members of the Government servant whose total annual income from all sources is within the income limit as decided by the Government from time to time for the purpose of these rules.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार तोमर, उपसचिव.